

71-75/26

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 136 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

प्रशासन गांवों के संग-2021

राजस्व ग्राम <u>आबूरोड</u> पं०मं० <u>आबूरोड</u> भू०अ०नि०वृत्त <u>जि०र०</u> तहसील- <u>आबूरोड</u>							
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दि०वि०	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1	54	39	0.3414	कीकली पुत्री सामीर जाति गरासिया	कीकली पुत्री सामीर जाति गरासिया		
2		40	0.5310	पिक्रम पुत्र सामीर -11-	पिक्रम पुत्र सामीर -11-		
3		116	0.3114	शांति पुत्री सामीर -11-	शांति पुत्री सामीर -11-		
4				हल्दी पुत्री सामीर -11-	हल्दी पुत्री सामीर -11-		
5				डूसा पुत्र सामीर -11-	डूसा पुत्र सामीर -11-		
6		65/2		गजी पुत्री सामीर -11-	गजी पुत्री सामीर -11-		
7		107		जमना देवी पाले सामीर -11-	जमना देवी पाले सामीर -11-		
8				रमेश पुत्र सामीर -11-	रमेश पुत्र सामीर -11-		
<p>मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।</p>				<p>साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>		<p>प०हल्का <u>आबूरोड</u> भू०अ०नि० <u>17/202</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।</p>	
<p>दिनांक पटवार पधम <u>26/02/26</u> तह.-आबूरोड (सिरोही)</p>				<p>ह० भू०अ०नि० <u>17/202</u> पत्त <u>17/202</u></p>		<p>प०हल्का <u>आबूरोड</u> भू०अ०नि० <u>17/202</u> राजस्व अधिकारी <u>...</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे।</p>	
<p>सहायक कलेक्टर (सिरोही) ह० उपखण्ड अधिकारी</p>				<p>ह० राजस्व अधिकारी</p>		<p>ह० उपखण्ड अधिकारी</p>	